


अनुबंध 1 (पैरा 2.1)

### स्टोर महानिदेशालय का संगठनात्मक चार्ट



ईडी – कार्यकारी निदेशक, डी – निदेशक, डीडी – उप निदेशक, ओएसडी – विशेष डयूटी अधिकारी, आरएस - रेलवे स्टोर, पी – खरीद, आईसी – मालसूची नियंत्रक, पीओएल – पैट्रोलियम तेल और लुब्रीकेंट, आरएलओ – क्षेत्रीय संपर्क अधिकारी.

**परिशिष्ट 1 (पैरा 2.1 देखें)****स्टोर निदेशालय की विभिन्न शाखाओं का कार्य**

इकाई	विभाग	कार्य
स्टर रेलवे बोर्ड	कार्यकारी निदेशक रेलवे स्टोर इस्पात	इस्पात की मांग और खरीद अधिक स्टॉक और इस्पात के अधिशेष के निपटान के लिये नीति और प्रक्रिया आदि।
	निदेशक, रेलवे स्टोर (व्हील, टायर और एक्सल)	व्हील, टायर और एक्सल आदि की आवश्यकता की योजना
	उप निदेशक, रेलवे स्टोर (पीएफ एवं ईसी)	वाणिज्यिक, स्टोर निदेशालय, वैगन बिल्डरों, आरडीएसओ, यातायात, मेकेनिकल और वाणिज्यिक निदेशालय के बीच समन्वय का काम
	कार्यकारी निदेशक रेलवे स्टोर, (केबल)	इलैक्ट्रिक लोको आदि के लिये रेलवे सिग्नलिंग केबल, इलास्टोमेरिक केबल से संबंधित निविदा और ठेके को अंतिम रूप देना आदि।
	निदेशक, रेलवे स्टोर (पीओएल)	मुख्य एचएसडी, एसकेओ, एलडीओ, फर्नेस ॲंयल आदि की खरीद
	कार्यकारी, निदेशक रेलवे स्टोर (जी)	स्टोर कोड सुधार, सीओएस कांफ्रेस, रेलवे और पीयूएस आदि के शिकायत के मामले से संबंधित सभी नीतिगत मामले,
	निदेशक रेलवे स्टोर (प्रिंटिंग)	भारतीय रेलवे की प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित सभी मामले
	निदेशक रेलवे स्टोर (एम)/आरएलओ	क्षेत्रीय रेलवे में एमएमआईएस और आईआरआईपीएस के समन्वय, निगरानी और तर्कसंगत कार्यान्वयन से संबंधित कार्य।
	सलाहकार, रेलवे स्टोर (खरीद)	बीएचईएल से लोको की खरीद, स्टोर विभाग की श्रमशक्ति योजना और स्थापना मामले,
	निदेशक रेलवे स्टोर (विदेश)	व्हील, एक्सल, लोकोमोटिव्स और व्हील सेट आदि की खरीद।
स्टर रेलवे बोर्ड	स्टोर नियंत्रक (सीओएस)	स्टोर की योजना, खरीद और वितरण, उपयोगकर्ता विभाग द्वारा स्टोर की उपलब्धता और उपयोगिता की निगरानी।
	मुख्य सामग्री प्रबंधक और उप मुख्य सामग्री प्रबंधक	सीओएस को उसके कार्य, और उत्तरदायित्व पूर्ण करने में सहायता, रेलवे बोर्ड की नीति और दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन, मालसूची नियंत्रण आदि।

## परिशिष्ट-II (पैरा 2.3 देखें)

## नमूना लेखापरीक्षा ने नमूना आकार का चयन दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	वर्णन	आकार	कुल	चयनित नमूना आकार	चयनित नमूना आकार का प्रतिशत
1	कार्यशालाएं (यांत्रकी एवं एस व टी)	अधिकतम दो कार्यशालाओं के अधीन 50 प्रतिशत	50	29	58.00
2	शालाएं (ईएमयू/एमईएमयू/डीई एमयू कार शालाएं	अधिकतम दो शालाएं एक डीजल लोकोशेड और एक इलैक्ट्रिकल इंजन शाला (यदि किसी क्षेत्रीय रेलवे के दो या अधिक डीजल लोकोशेड नहीं हैं दो डीजल लोकोशेड चयनित होती हैं अथवा विपरीतता से)	87	32	36.78
3	कोचिंग डिपो एवं वैगन डिपो	दो मुख्य डिपो-एक कोचिंग डिपो और एक वैगन डिपो नहीं था वहां कोई वैगन डिपो नहीं था, दो मुख्य कोचिंग डिपों का चयन किया गया	201	69	34.33
4	स्वंत्र उत्पादन इकाइयां और आंचलिक रेलवे के साथ संबंधित उत्पादन इकाइयां	100 प्रतिशत	6	6	100

**परिशिष्ट - II (पैरा 2.3 देखें)**

**नमूना लेखापरीक्षा हेतु नमूना आकार के चयन को दर्शाता विवरण**

क्र. सं;	क्षेत्रीय रेलवे	कार्यशालाएं (मैकेनिकल एवं एसएण्डटी) 50%		शेड (ईएमयू/एमईएमयू/डी ईएमयू कार शेड)		कोचिंग तथा वैगन डिपु		उत्पादन इकाइया (100%)
		कुल संख्या	चयनित	कुल संख्या	चयनित	कुल संख्या	चयनित	
1	मरे	3	2 सीआर कार्यशाला / एमटीएन और लोको कार्यशाला / पी एल	10	2 डीएलएस / पुणे और एल्स / केवाईएन	26	8 सीडी / डब्ल्यूबी, बीएसएल, डीडी, डॉ, और डब्ल्यूडी / वीडीएलआर, बीएसएल, वाडी, डीडी	
2	पूरे	4	2 यांत्रिक कार्यशाला / केपीए और एलएलएच	4	2 डीएसएल / यूडीएल और इएलएस / हावड़ा	5	3 सीडी / टीपीकेआर, एसडीएएच और डब्ल्यूडी / यूडीएल	
3	पूमरे	1	1 यांत्रिक कार्यशाला / एसपीजे	5	2 डीएलएस / एमजीएस और इएलएस / एमजीएस	23	7 सीडी / आरजेक्यू, पीएनबीसी, एमएफपी, डीबीजी और डब्ल्यु सी / एमजीएस, गीगा, एनआरपीए	
4	पूतरे	1	1 सीआर कार्यशाला / एमसीएस	3	2 डीएलएस / वीएसकेपी और इएलएस / वीएसकेपी	7	3 सीडी / पुरी, बीबीएस और डब्ल्यूडी/ वीएसकेपी	

5	उरे	5	2 सी एंड डब्ल्यू - जेयूटीडब्ल्यू और सिग्नल की शॉप /जीजेडबी	6	2 डीएसएल / टीकेडी इएलएस / एलडीएच	13	4 सीडी / एलकेओ जेएटी और डब्ल्यूटी / यूएमबी, टीकेडी	
6	उमरे	1	1 डब्ल्यूटी / जेएचएस	5	2 डीएसएल / जेएचएस और इएलएस / सीएनबी	16	5 सीडी / एलएलटी, सीएनबी, एजीसी और डब्ल्यूटी / सीएनबी, कार	
7	उपरे	3	2 1. एस एंड टी कार्यशाला/ जीकेसी 2. मैक। कार्यशाला /आईजेडए न	2	2 डीएसएल/ जी.डी. डीएसएल/ आईजेडएन	13	4 सीडी / जीकेपी, एलजेएन, सीपीआर और एलजेएन (एमजी)	
8	उसीरे	2	2 मैकेनिकल वर्कशाप एनबीक्यू और टीबीआरटी	4	2 डीएलएस/ एनजीसी और डीएलएस/ एसजीयूजे	12	4 सीडी / एनजेपी, जीएचवाइ और डब्ल्यूटी / एनजेपी, एनजीसी	
9	उपरे	5	2 कैरिज वर्कशॉप/ एआईआई और सिग्नल वर्कशॉप/ एआईआई	3	2 डीएसएल/ एबीआर और डीएलएल/ बीजीकआई	5	3 सीडी/जेपी, एआईआई और डब्ल्यू/ एमडी	
10	दरे	6	2 कैरिज और वैगन वर्कशॉप/ पीईआर	7	2 डीएसएल/ जीओसी और ईएलएस/ ईडी	27	9 सीडी/बीबी क्यू जीएसएन, टीबीसी,	

			और लोको वर्कशॉप/ पीईआर				एनसीजे, एएलएलपी और डब्ल्यूडी/ टीएनपीएम, जेटीजे, एचओएम, आईपीएन	
11	दमरे	4	2 मैकेनिकल और इलैक्ट्रिकल/ वर्कशॉप एलजीडी और मैकेनिकल और जनरल/ वर्कशॉप जीटीपीएल	10	2 डीएलएस/ केज़ेडजे और ईएलएस/ एलजीडी	17	5 सीडी/एससी , एचवाईबी, टीपीटीवाई, और डब्ल्यूडी/ आरडीएम, जीवाई	
12	दपूरे	2	2 मैकेनिकल वर्कशॉप केजीपी और एसएंडटी वर्कशॉप केजीपी	7	2 डीएलएस/ बीएनडीएम और ईएलएस/ टाटा	13	4 सीडी/ एसआरसी एचटीई और डब्ल्यूडी/ बीएनडीएम, बीकेएससी	
13	दपूमरे	2	1 डब्ल्यू आर एस/आर	3	2 डीएलएस/ आर और ईएलएस/ बीआईए	9	3 सीडी/ बीएसपी, इंग और डब्ल्यूडी/ बीआईए	
14	दपरे	2	2 सीआरएस/यू बीएल और सीआरएस/ए मवाईएस	2	2 डीएलएस/ यूबीएल और डीएलएस/ केजेएम	9	3 सीडी-एसबीसी, यूबीएल और डब्ल्यूडी/ एचपीटी	
15	परे	6	सी,एल एवं डब्ल्यू/डीए चड़ी तथा मरे कार्यशाला/ पीएल	11	2 ईएलएस/बी आरसीवाई एवं डीएलएस/आ रटीएम	2	2 सीडी/बीसी टी एवं जीएस/एस बीआई	
16	पमरे	2	मरे/बीपीए ल एवं डब्ल्यूआरए स/कोटा	5	2 डीएलएस/ई टी ईएलएस/टी केडीसी	4	2 डब्ल्यूडी/ए नकेजे एवं सीडी/जेबी पी	

17	एमआर/ कोलकाता	1	1					
18	सीएलडब्ल्यू / चितरंजन							1
19	डीएमडब्ल्यू / पटियाला							1
20	डीएलड ब्ल्यू/ वाराणसी							1
21	आईसीएफ / पैरम्बूर							1
22	आरसीएफ / आरबीएल							1
23	आरसीएफ / कपूरथला							1
	<b>कुल</b>	50	29	87	32	201	69	6

**परिशिष्ट III ( पैरा 2.6.1 देखें )**

रेलवे बोर्ड की तुलना में जोनल रेलवे/रेलवे उत्पादन यूनिटों के अनुसार संरक्षा मदों के रूप में वर्गीकृत शीर्ष/मदों की संख्या दर्शाता विवरण:

जोनल रेलवे/ आरपीयू	रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार वर्गीकृत शीर्ष/मदों की संख्या	जोनल रेलवे/आरपीयू द्वारा वर्गीकृत शीर्ष/मदों की संख्या	लेखापरीक्षा आपत्तियां
म.रे.	9/468	7/791	रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित डीजल इंजन की श्रेणी के अंतर्गत 85 मदों के प्रति मध्य रेलवे ने 205 मदों को श्रेणीबद्ध किया है।
पू.रे	9/468	6/696	रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित कोचिंग स्टाक श्रेणी के अंतर्गत 35 मदों के प्रति पूर्वी रेलवे ने 380 मदों को श्रेणीबद्ध किया है।
पू.म.रे	9/468	7/586	रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित डीजल इंजन की श्रेणी में 85 मदों और इलैक्ट्रिक इंजन की श्रेणी के अंतर्गत 100 मदों के प्रति पूर्वी मध्य रेलवे ने क्रमशः 204 एवं 211 मदों को श्रेणीबद्ध किया है।
पू.त.रे.	9/468	7/784	रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित डीजल इंजन की श्रेणी के अंतर्गत 85 मदों और कोचिंग स्टाक श्रेणी के अंतर्गत 35 मदों के प्रति पूर्वी तटीय रेलवे ने क्रमशः 274 और 346 को श्रेणीबद्ध किया।
उ.रे	9/468	7/533	रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित डीजल इंजन की श्रेणी के अंतर्गत 85 मदों और ट्रैक की श्रेणी के अंतर्गत 25 मदों के प्रति उत्तरी रेलवे ने क्रमशः 137 और 102 मदों को श्रेणीबद्ध किया।
उ.म.रे	9/468	04/832	रेलवे बोर्ड द्वारा श्रेणीबद्ध नौ शीर्षों के अंतर्गत 468 मदों की तुलना में, उमरे ने लगभग दोहरी संख्या को श्रेणीबद्ध किया अर्थात् चार शीर्षों के अंतर्गत 832 मदें।
उ.पू.रे	9/468	6/197	उपरे द्वारा श्रेणीबद्ध संरक्षा मदों की संख्या रेलवे बोर्ड द्वारा श्रेणीबद्ध मदों की आधी संख्या से भी कम है।
उ.सी.रे	9/468	7/595	रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित डीजल इंजन की श्रेणी के अंतर्गत 85 मदों के प्रति पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे ने 205 मदों को वर्गीकृत किया।
उ.प.रे	9/468	6/521	रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित डीजल इंजन की श्रेणी के अंतर्गत 85 मदों और कोचिंग स्टाक की श्रेणी के अंतर्गत 35 मदों के प्रति उत्तर

			पश्चिम रेलवे ने क्रमशः 276 और 140 मदों को वर्गीकृत किया
द.रे	9/468	5/794	रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित शीर्ष से शीर्ष-चार वर्गीकरण एकदम अलग है।
दमरे	9/468	5/303	रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित कोचिंग स्टॉक श्रेणी के तहत 35 मदों तथा मालभाड़ा स्टॉक श्रेणी के तहत 14 मदों के प्रति, दक्षिण मध्य रेलवे ने क्रमशः 96 एवं 99 मदों को श्रेणीबद्ध किया है।
दपूरे	9/468	7/677	रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित लोकोमोटिव विद्युत श्रेणी के तहत 86 मदों तथा मालभाड़ा स्टॉक श्रेणी के तहत 14 मदों के प्रति, दपूरे ने क्रमशः 222 एवं 220 मदों को श्रेणीबद्ध किया है।
दपूरे	9/468	8/833	रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित लोकोमोटिव विद्युत श्रेणी के तहत 86 मदों तथा मालभाड़ा स्टॉक श्रेणी के तहत 14 मदों के प्रति, दपूरे ने क्रमशः 222 एवं 220 मदों को श्रेणीबद्ध किया है।
दपरे	9/468	6/234	रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित लोकोमोटिव विद्युत श्रेणी के तहत 86 मदों तथा मालभाड़ा स्टॉक श्रेणी के तहत 14 मदों के प्रति, दपूरे ने क्रमशः शून्य एवं 40 मदों को श्रेणीबद्ध किया है।
परे	9/468	10/660	रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित लोकोमोटिव विद्युत श्रेणी के तहत 86 मदों तथा मालभाड़ा स्टॉक श्रेणी के तहत 14 मदों के प्रति, दपूरे ने क्रमशः 222 एवं 107 मदों को श्रेणीबद्ध किया है।
पमरे	9/468	9/295	हालांकि, नौ शीर्षों के तहत वर्गीकरण सही प्रकार किया गया है तथापि, वर्गीकृत मदों की संख्या रेलवे बोर्ड द्वारा वर्गीकृत मदों की कुल संख्या से भिन्न है।
मेट्रो	9/468		मेट्रो रेल में संरक्षा मदों का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया।
सीएलडब्ल्यू	9/468	01/122	इंजन उत्पादन यूनिट होने के नाते, वर्गीकरण रेलवे बोर्ड के वर्गीकरण के अनुरूप प्रतीत होता है।
डीएमडब्ल्यू	9/468	01/35	इंजन उत्पादन यूनिट होने के नाते, वर्गीकरण रेलवे बोर्ड के वर्गीकरण के अनुरूप प्रतीत होता है।
डीएलडब्ल्यू	9/468	01/289	इंजन उत्पादन यूनिट होने के नाते, वर्गीकरण रेलवे बोर्ड के वर्गीकरण के अनुरूप प्रतीत होता है।
आईसीएफ	9/468	02/333	कोच उत्पादन यूनिट होने के नाते, वर्गीकरण रेलवे बोर्ड के वर्गीकरण के अनुरूप प्रतीत होता

			है।
आरसीएफ, केएक्सएच	9/468	01/34	एक उत्पादन इकाई होने के कारण वर्गीकरण, रेलवे बोर्ड के वर्गीकरण अनुरूप प्रतीत होता है।
आरसीएफ, आरबीएल	9/468	01/18	सीमित गतिविधियों के साथ एक उत्पादन इकाई होने के कारण वर्गीकरण, रेलवे बोर्ड के वर्गीकरण अनुरूप प्रतीत होता है।